संख्याः 94 / परि० / 2003

प्रेषक,

राजीव चन्द्र जोशी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव।
2. समस्त मंडलायुक्त उत्तरांचल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

परिवहन विभाग

देहरादून, दिनांकः 07 मई, 2003

विषयः–सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने विषयक।

महोदय,

वर्तमान में अत्याधुनिक टैक्नोलॉजी युक्त वाहनों के बाजार में आने के कारण पुराने वाहनों के बाजार मूल्यों में गिरावट आई है साथ ही निर्माण किए जाने वाले नए वाहनों के मूल्य में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप भी निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों के लिए शासनादेश संख्या–2747 / 30–4–97 के0एम0 / 76, दिनांकः 04.10.1997 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित नीलामी मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में प्रक्रिया को परिवर्तित किए जाने हेतु अनेक स्तरों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

राज्यपाल महोदय सरकारी गाड़ियों को निष्प्रयोज्य घोषित करने विषयक शासनादेश संख्या–2747 / 30–4–97 के0एम0 / 76, दिनांकः 04.10.1997 के प्रस्तर–दो द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रक्रिया निर्धारित करते हैं :–

1. उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर–दो द्वारा निर्धारित न्यूनतम नीलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम नीलामी मूल्य रखा जाएगा एवं नीलामी समिति द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि वाहन कम से कम न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही नीलाम किया जाय।

2. यदि स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार के बाद भी न्यूनतम नीलामी मूल्य पर वाहनों की नीलामी संभव न हो और यदि नीलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है तथा पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार के उपरान्त भी अधिक मूल्य प्राप्त होने की संभावना नहीं है तो समिति वाहन की वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत नीलामी में प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन नीलाम कर सकती है। ऐसा करने की स्थिति में नीलामी समिति द्वारा सुस्पष्ट लिखित आदेश, जिसमें व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए किए गए प्रयासों का भी उल्लेख हो, द्वारा वाहन नीलामी के आदेश जारी करने होंगे।

यह उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-3987 पी/30-4-38/90, दिनांक 27 अगस्त, 1992 के द्वारा जिले स्तर पर वाहनों की नीलामी हेतु बनायी गयी जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी तथा मण्डल स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों की नीलामी हेतु मण्डल स्तरीय समिति के अध्यक्ष मण्डलायुक्त होंगे। अतः उपरोक्त वर्णित लिखित आदेश नीलामी समिति के अध्यक्ष (जिलाधिकारी अथवा मण्डलायुक्त, यथा स्थिति) द्वारा जारी किया जाएगा।

3. यदि नीलामी समिति की राय में प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य को देखते हुए उचित नहीं है तो नीलामी समिति द्वारा पुनः व्यापक प्रचार प्रसार के पश्चात् वाहन की नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न कराई जाएगी।

4. यह शासनादेश सचिवालय पूल की गाड़ियों पर लागू नहीं होगा।

5. प्रश्नगत विषय से संबंधित दिनांक-22-03-77, 17-7-79, 15-01-81, 31-10-86, 07-02-95, 19-02-97 एवं 04-10-97 के शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-83/वि0अनु0-3/03, दिनांक-24.04.2003 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव चन्द्र जोशी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरांचल।
3. विधानसभा सचिवालय, उत्तरांचल।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
5. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-3

आज्ञा से,

(राजीव चन्द्र जोशी)
अपर सचिव।